

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक विद्या/टी/2/33/18/
प्रति,

1296-

भोपाल, दिनांक 05-05-2018

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषय :- अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से जमा की गई राशि के संबंध में ।

—000—

प्रदेश में स्थित अनेक अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा माँग की जा रही है कि उनके द्वारा संस्था की नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु अधिक अवधि तक के लिये राशि एम0पी0 ऑन लाईन के माध्यम से जमा की गई है, परन्तु उनको मान्यता/नवीनीकरण कम अवधि का किया गया है, अतः उनको शेष राशि वापिस की जाय/आगामी वर्षों की मान्यता हेतु समायोजित किया जाय ।

इस संबंध में दिनांक 24.3.18 को मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में ऐसी संस्थाएँ जिनके द्वारा अधिक वर्षों की नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु राशि एम0पी0 ऑन लाईन के माध्यम से जमा की है परन्तु उनको मान्यता/नवीनीकरण कम अवधि के लिये हुआ है, ऐसी संस्थाओं की अंतर की राशि उनके आगामी वर्षों की मान्यता नवीनीकरण में समायोजित की जावेगी ।

(डी0एस0 कुशवाह)

अपर संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क0 विद्या/टी/2/33/18/ 1299-
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक-05-05-2018

1/ प्रबंधक, एम0पी0 ऑनलाईन, चतुर्थ तल, डी0बी0 मॉल, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि जिन संस्थाओं द्वारा अधिक अवधि के लिये मान्यता शुल्क जमा किया है परन्तु उनको मान्यता कम अवधि की मिली है, शेष राशि आगामी वर्षों की मान्यता नवीनीकरण करते हुए समायोजित करें ।

2/ समस्त अशासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

अपर संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश